"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 38,] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 21 सितम्बर 2012—भाद्र 30, शक 1934

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 सितम्बर 2012

क्रमांक ई 7-07/2012/1/2.—श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर, सहायक कलेक्टर, जिला-राजनांदगांव को दिनांक 03-08-2012 से 17-08-2012 तक (15 दिवस) के पितृत्व अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है. साथ में, दिनांक 2, 18, 19 एवं 20 अगस्त 2012 के राजपत्रित अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री क्षीरसागर, आगामी आदेश तक सहायक कलेक्टर, जिला-राजनांदगांव के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.

3. अवकाश काल में श्री क्षीरसागर को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री क्षीरसागर यदि अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 4 सितम्बर 2012

क्रमांक ई 7-06/2012/1/2.—श्री राजेश सिंह राणा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला-नारायणपुर (छ.ग.) को दिनांक 12-07-2012 से 26-07-2012 तक (15 दिवस) के पितृत्व अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री राणा, आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला-नारायणपुर (छ.ग.) के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री राणा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री राणा यदि अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 4 सितम्बर 2012

क्रमांक ई 7-06/2012/1/2.—श्री सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे, सहायक कलेक्टर, जिला-बस्तर, जगदलपुर को दिनांक 13-08-2012 से 27-08-2012 तक (15 दिवस) के पितृत्व अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री भूरे, आगामी आदेश तक सहायक कलेक्टर, जिला-बस्तर, जगदलपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री भूरे को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री भूरे यदि अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एल. ताम्रकार, अवर सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 सितम्बर 2012

क्रमांक/249/196/दो गृह/भापुसे/2012.—श्री राहुल भगत, भा.पु.से. पुलिस अधीक्षक, कांकेर को दिनांक 25-06-2012 से दिनांक 07-07-2012 (13 दिवस) तक का कार्योत्तर अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 24-06-2012 एवं दिनांक 08-07-2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री भगत आगामी आदेश तक पुलिस अधीक्षक के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री राहुल भगत को अवकाश वेतन भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राहुल भगत अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. डी. पुरबिया, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 सितम्बर 2012

फा. क्रमांक 7126/2580/21-ब/छ.ग./2012.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 एवं छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2006 के नियम 5 (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की अनुशसा से, एतद्द्वारा, एकता अग्रवाल, आत्मजा श्री अशोक कुमार अग्रवाल (श्रेणी-अनारक्षित, मेरिट क्र.-07) को उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने के दिनांक से छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम, 2006 के नियम 3 (1)(ए) के अंतर्गत, दो वर्ष की परिवीक्षा पर या आगामी आदेश तक कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सामंतराय, सचिव.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 अगस्त 2012

क्रमांक एफ 2-55/2011/नौ/55.—नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का सं. 1) की धारा 33 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, आयुष संचालनालय के अंतर्गत स्टाफ नर्स, वाहन चालक, मशीन आपरेटर, पंचकर्म सहायक, मसाजर एवं वार्ड ब्वाय के पदों की भर्ती हेतु नि:शक्त व्यक्तियों के संबंध में धारा 33 के उपबंधों में छूट प्रदान करती है तथा लेब टेक्नीशियन, लेब असिस्टेन्ट, कम्पाउण्डर, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं औषधालय सेवक के पदों में भर्ती हेतु मापदण्ड विनिर्दिष्ट करती है कि पचास से सत्तर प्रतिशत तक निचले अंगों की लोकोमोटरी नि:शक्तता वाले व्यक्तियों को ही, उक्त वर्ग के लिए आरक्षित कोटे के अंतर्गत पदों की पूर्ति करने के लिए प्रथम वरीयता दी जाए और उपयुक्त उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण पद रिक्त रह जाने की स्थिति में, चालीस से पचास प्रतिशत तक के निचले अंगों की लोकोमोटरी नि:शक्तता वाले व्यक्तियों को द्वितीय वरीयता दी जाए.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आनंद बाबू, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 7 अगस्त 2012

क्रमांक एफ 2-55/2011/नौ/55.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 7 अगस्त, 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आनंद बाबू, विशेष सचिव.

Raipur, the 7th August 2012

No. F 2-55/2011/नौ/55.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Section 33 of the persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 (No. 1 of 1996), the State Government, hereby, exempts the provisions of Section 33, in respect of disabled persons for recruitment, under the Directorate of AYUSH, to the posts of Staff Nurse, Driver, Machine Operator, Panchakarma Sahayak, Massager and Ward Boy and specifies the norms for recruitment to the posts of Lab Technician, Lab Assistant, Compounder, Female Health Worker and Aushdhalay Sewak that only persons with locomotory disability of lower limbs between fifty to seventy percent shall be given first preference for filling up the posts under the quota reserved for the said class and in the event, the post remaining vacant due to unavailability of suitable candidates, the persons with locomotory disability of lower limbs between forty to fifty percent shall be given second preference.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
B. ANANDA BABU, Special Secretary.

श्रम विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 अगस्त 2012

क्रमांक एफ 10-15/2012/16.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 74 का प्रयोग करते हुए तथा इस विषय में इससे पूर्व जारी अधिसूचनाओं को अधिक्रमित करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से :—

1. अधोलिखित अनुसूची के स्तंभ 2 में निर्दिष्ट कर्मचारी बीमा न्यायालयों का गठन करता है, जिसमें स्तंभ 3 में निर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों के लिये एक न्यायाधीश होगा, जिसका मुख्यालय सूची के अनुरूप स्तंभ 4 में निर्दिष्ट है.

2. अनुसूची के स्तंभ 5 में निर्दिष्ट अधिकारी को संबंधित कर्मचारी बीमा न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करता है.

अनुसूची

क्र.	कर्मचारी बीमा न्यायालय	कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत अधिसूचित स्थानीय क्षेत्र	मुख्यालय	अधिकारी का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	कर्मचारी बीमा न्यायालय, रायपुर.	1. रायपुर	रायपुर	पीठासीन अधिकारी श्रम न्यायालय क्र.-1.
		2. मंदिरहसौद, बैकुंठ (तिल्दा), नवापारा-राजिम, भाटापारा, बलौदाबाजार.		पीठासीन अधिकारी श्रम न्यायालय क्र.-2.
2.	कर्मचारी बीमा न्यायालय, दुर्ग.	कुम्हारी, नंदिनीरोड, भिलाई, हथखोज, दुर्ग, रसमड़ा.	दुर्ग	पीठासीन अधिकारी श्रम न्यायालय, दुर्ग.
3.	कर्मचारी बीमा न्यायालय, राजनांदगांव.	राजनांदगांव, टेडेसरा, तुमडीबोर्ड	राजनांदगांव	पीठासीन अधिकारी श्रम न्यायालय, राजनांदगांव.
4.	कर्मचारी बीमा न्यायालय, धमतरी.	धमतरी	धमतरी	पीठासीन अधिकारी श्रम न्यायालय, धमतरी.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	कर्मचारी बीमा न्यायालय, बिलासपुर.	बिलासपुर, बिल्हा, सीपत	बिलासपुर	पीठासीन अधिकारी श्रम न्यायालय, बिलासपुर.
6.	कर्मचारी बीमा न्यायालय, जांजगीर-चांपा.	जांजगीर-चांपा, अकलतरा, मड़वा, आमझर, डभरा.	जांजगीर-चांपा	पीठासीन अधिकारी श्रम न्यायालय जांजगीर-चांपा.
7.	कर्मचारी बीमा न्यायालय, रायगढ़.	रायगढ़, पतरापाली, तराईमाल, तमनार, भूपदेवपुर, घरघोड़ा, जामगांव.	रायगढ़	पीठासीन अधिकारी श्रम न्यायालय, रायगढ़.
8.	कर्मचारी बीमा न्यायालय, कोरबा.	कोरबा, बाल्को नगर, दर्रीजमनीपाली, छुरीकला, पताड़ी (उरगा).	कोरबा	पीठासीन अधिकारी श्रम न्यायालय, कोरबा.

Raipur, the 9th August 2012

No. F 10-15/2012/16.— In exercise of the powers conferred by Section 74 of the Employees' State Insurance Act, 1948 and in Supersession of all previous notifications issued in this behalf, the State Government with immediate effect hereby—

1. Constitutes Employee's Insurance Courts specified in column (2) of the schedule below, each consisting of one Judge for the local areas specified against them in column (3) with head quarters as shown in the corresponding entries in column (4) thereof and

2. Appoints the officers respectively specified in column (5) of the said schedule to be the Judge of the said Employee's Insurance Courts.

SCHEDULE

S. No. (1)	Employee's Insurance Court (2)	Local Notified Areas under ESI Scheme (3)	Head Quarters (4)	Name of Officer (5)
1.	Employee's Insurance Court, Raipur.	1. Raipur 2. Mandirhasod, Baikunth (Tilda), Navapara-Rajim, Bhatapara, Balodabazar.	Raipur	Presiding Officer Labour Court No. 1. Presiding Officer Labour Court No. 2.
2.	Employee's Insurance Court, Durg.	Kumhari, Nandini Road, Bhilai, Hathkhoj, Durg, Rasmada.	Durg	Presiding Officer Labour Court, Durg.
3.	Employee's Insurance Court, Rajnandgaon.	Rajnandgaon, Tedesara, Tumdibord	Rajnandgaon	Presiding Officer Labour Court, Rajnandgaon.
4.	Employee's Insurance Court, Dhamtari.	Dhamtari	Dhamtari	Presiding Officer Labour Court, Dhamtari.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	Employee's Insurance Court, Bilaspur.	Bilaspur, Bilha, Seepat	Bilaspur	Presiding Officer Labour Court Bilaspur.
6.	Employee's Insurance Court, Janjgeer-Champa	Janjgeer, Champa, Akaltara, Madwa, Aamjhar, Dabhra.	Janjgeer-Champa	Presiding Officer Labour Court, Janjgeer-Champa.
7.	Employee's Insurance Court, Raigarh.	Raigarh, Patarapali, Traimal, Tamnar, Bhupdevpur, Gharghoda, Jamgaon.	Raigarh	Presiding Officer Labour Court, Raigarh.
8.	Employee's Insurance Court, Korba.	Korba, Balco Nagar, Darrijamnipali, Chhurikala, Patadi (Urga)	Korba	Presiding Officer Labour Court, Korba.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढांड, अपर मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 30 अगस्त 2012

क्रमांक एफ 10-4/2010/16.—भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1966 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम, 2008 के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अधिसूचना क्रमांक एफ 10-4/2010/16, रायपुर दिनांक 04-03-2010 में हिताधिकारियों के लिए छात्रवृत्ति योजना में (अ) योजना का प्रावधान में निम्नानुसार अंत:स्थापित किया जाता है :—

(अ) (ii) "कक्षा 9वीं से ऊपर की कक्षाओं के लिए न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक की बाध्यता समाप्त की जाती है."

(अ) (iii) (8) "आईटीआई एक वर्षीय पाठ्यक्रम हेतु रुपये 1,500/- छात्रों को एवं रुपये 2,000/- छात्राओं हेतु छात्रवृत्ति देय होगा."

उपरोक्त अधिसूचना, अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगी.

रायपुर, दिनांक 3 सितम्बर 2012

क्रमांक एफ 10-16/2012/16.—भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 12(3) के अनुसार शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियम 272 के तहत् छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अधिसूचना क्रमांक एफ 10-3/2010/16, रायपुर दिनांक 03-03-2010 में निम्नानुसार संशोधन करती है :—

"अधिसूचना के बिन्दु क्रमांक 01 एवं 02 यथावत् रखते हुए बिन्दु क्रमांक 03 को विलोपित करती है."

उपरोक्त अधिसूचना, अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. आर. मालवीय, उप-सचिव.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 सितम्बर 2012

क्रमांक एफ 11-2/2011/25/1.—नवगठित जिला सुकमा, कोण्डागांव, गरियाबंद, बलौदाबाजार, बालोद, बेमेतरा, मुंगेली, सूरजपुर, बलरामपुर में जिला कार्यालय स्थापित करने एवं पद सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई है.

2. उपरोक्त कार्यालयों हेतु निम्नानुसार संशोधित पद सृजन की स्वीकृति भी प्रदान की जाती है :—

क्र.	पदनाम	वेतनबैंड	प्रस्तावित पद संख्या	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	सहायक संचालक	15600-39100+5400	02	केवल सूरजपुर एवं बलरामपुर जिला के लिए.
2.	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	9300-34800+4300	02	केवल सूरजपुर एवं बलरामपुर जिला के लिए.
3.	सहायक ग्रेड-1	5200-20200+2800	08	केवल बलौदाबाजार, गरियाबंद, सूरजपुर, बलरामपुर, बालोद, बेमेतरा, सुकमा एवं कोण्डागांव जिला के लिए.
4.	डाटाएन्ट्री आपरेटर	5200-20200+2400	09	01 पद प्रति जिला के लिए
5.	वाहन चालक	5200-20200+1900	09	01 पद प्रति जिला के लिए
6.	चौकीदार	4750-7440+1300	09	01 पद प्रति जिला के लिए
7.	फर्राश/स्वीपर/आकस्मिकता स्थापना.		09	01 पद प्रति जिला के लिए
		योग	**48**	

2. उक्त पदों पर होने वाले व्यय मांग संख्या-33-मुख्यशीर्ष-2225-अनुसूचित जाति, अनु. जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण 02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-001-निर्देशन एवं प्रशासन-1483-जिला प्रशासन आयोजनेत्तर के अंतर्गत विकलनीय होगा.

3. यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू.ओ. क्रमांक 350/1002154 वित्त विभाग/ब-3/2012 दिनांक 17-08-2012 द्वारा प्रदान की गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एमरेंसिया खेस्स, अवर सचिव.

वन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2012

क्रमांक एफ 8-20/2007/10-2.—वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 (क्र. 53 सन् 1972) की धारा 38 (x) एवं भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (बाघ संरक्षण फाउंडेशन) के दिशानिर्देश, 2007 क्र. एस. ओ. 1008 (ई), दिनांक 22 जून 2007 के अनुसरण में, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इन्द्रावती बाघ संरक्षण फाउंडेशन, जो न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं पंजीयक सार्वजनिक न्यास बीजापुर, जिला-बीजापुर छत्तीसगढ़ में क्रमांक 01, दिनांक 04-06-2010 द्वारा पंजीकृत है, को समग्र नीतिगत मार्गदर्शन और निर्देश देने के लिये शासी निकाय गठित करती है, जो निम्नानुसार है :—

स. क्र.	नामांकित अध्यक्ष/सदस्य	पदनाम
(1)	(2)	(3)
1.	राज्य सरकार के वनमंत्री	अध्यक्ष
2.	प्रमुख सचिव वन विभाग	उपाध्यक्ष
3.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक	सदस्य
4.	क्षेत्र संचालक, इन्द्रावती टायगर रिजर्व	सदस्य
5.	उप संचालक, इन्द्रावती टायगर रिजर्व	सदस्य
6.	संबंधित क्षेत्र के दो प्रसिद्ध वैज्ञानिक अथवा फील्ड अर्हता प्राप्त विशेषज्ञ (शासन द्वारा नामांकित)	सदस्य
7.	विधान सभा सदस्य जो राज्य विधान सभा में संबंधित क्षेत्र के प्रतिनिधि हो	सदस्य
8.	बाघ रिजर्व क्षेत्र पर क्षेत्राधिकार रखने वाले जिला पंचायत के प्रतिनिधि	सदस्य
9.	फांउडेशन की कार्यकारी समिति के दो सदस्य (फील्ड निदेशक/उपनिदेशक के अलावा)	सदस्य
10.	मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक	सदस्य-सचिव

शासी निकाय का विनियमन एवं संचालन भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (बाघ संरक्षण फाउंडेशन) के दिशानिर्देश, 2007 के अनुसार होगा.

शासी निकाय के अशासकीय सदस्य, प्रथम श्रेणी शासकीय सेवकों के समतुल्य नियमानुसार यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता तथा भोजन व्यवस्था एवं आवास की सुविधा के लिए पात्र होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. अनंत, सचिव.

रायपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2012

क्रमांक एफ 8-20/2007/10-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 8-20/2007/10-2, दिनांक 06-09-2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. अनंत, सचिव.

Raipur, the 6th September 2012

No. F 8-20/2007/10-2.— In pursuance of Section 38(x) of Wild Life (Protection) Act, 1972 (No. 53 of 1972) and vide notification No. S. O. 1008 (E), dated 22nd June, 2007 of National Tiger Conservation Authority (Tiger Conservation Foundation) Guidelines, 2007 issued by Government of India Ministry of Environment and Forest, New Delhi, the State Government hereby constitutes the Governing Body for giving overall policy guidelines and direction to Indravati Tiger Conservation Foundation as registered in the office of Registrar, Public Trust Bijapur vide No. 01, date 04-06-2010, which is as follows :—

S. No. (1)	Nominated Chairperson/Member (2)	Designation (3)
1.	Forest Minister of the State Govt.	Chairman
2.	Principal Secretary, Forest Department	Vice-Chairman
3.	Principal Chief Conservator of Forest	Member
4.	Field Director, Indravati Tiger Reserve	Member
5.	Deputy Director, Indravati Tiger Reserve	Member
6.	Two prominent scientists or qualified experts of the related field (nominated by the Government)	Member
7.	Member of Legislative Assembly, who represent the concerned area in the State Legislative Assembly.	Member
8.	Representative of the District Panchayat having jurisdiction over the Tiger Reserve area.	Member
9.	Two members of the Executive Committee of the Foundation (other than the Field Directors/Deputy Director).	Member
10.	Chief Wildlife Warden	Member-Secretary

The Governing Body will be regulated and directed according to National Tiger Conservation Authority (Tiger Conservation Foundation) Guidelines, 2007 issued by Government of India, Ministry of Environment and Forest, New Delhi.

The non-government member of the Governing Body shall be entitled for TA, DA and stay facility of Boarding and Lodging as per rule equivalent to Government Servants Class-I.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
B. S. ANANT, Secretary.

रायपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2012

क्रमांक एफ 8-20/2007/10-2.—वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 (क्र. 53 सन् 1972) की धारा 38 (x) एवं भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (बाघ संरक्षण फाउंडेशन) के दिशानिर्देश, 2007 क्र. एस. ओ. 1008 (ई), दिनांक 22 जून 2007 के अनुसरण में, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इन्द्रावती बाघ संरक्षण फाउंडेशन, जो न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं पंजीयक सार्वजनिक न्यास बीजापुर, जिला-बीजापुर छत्तीसगढ़ में क्रमांक 01, दिनांक 04-06-2010 द्वारा पंजीकृत है, के दैनिक (दिन प्रतिदिन) प्रबंध एवं प्रशासन के लिए कार्यकारी समिति गठित करती है जो निम्नानुसार है :—

स. क्र. (1)	नामांकित अध्यक्ष/सदस्य (2)	पदनाम (3)
1.	क्षेत्र संचालक, इन्द्रावती टायगर रिजर्व	अध्यक्ष
2.	उप संचालक, इन्द्रावती टायगर रिजर्व	सदस्य-सचिव
3.	बाघ रिजर्व में कार्यरत पारिविकास समिति के दो प्रतिनिधि जो शासी निकाय द्वारा नामांकित किये गये हों.	सदस्य
4.	बाघ रिजर्व के फ्रंटलाइन स्टाफ के दो सदस्य	सदस्य

कार्यकारी समिति का विनियमन एवं संचालन भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (बाघ संरक्षण फाउंडेशन) के दिशानिर्देश, 2007 के अनुसार होगा.

कार्यकारी समिति के अशासकीय सदस्य, प्रथम श्रेणी शासकीय सेवकों के समतुल्य नियमानुसार यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता तथा भोजन व्यवस्था एवं आवास की सुविधा के लिए पात्र होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. अनंत, सचिव.

रायपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2012

क्रमांक एफ 8-20/2007/10-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 8-20/2007/10-2, दिनांक 06-09-2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. अनंत, सचिव.

Raipur, the 6th September 2012

No. F 8-20/2007/10-2.— In pursuance of Section 38(x) of Wild Life (Protection) Act, 1972 (No. 53 of 1972) and vide notification No. S. O. 1008 (E), dated 22nd June, 2007 of National Tiger Conservation Authority (Tiger Conservation Foundation) Guidelines, 2007 issued by Government of India Ministry of Environment and Forest, New Delhi, the State Government hereby constitutes the Executive Committee to look after day to day management and administration of Indravati Tiger Conservation Foundation as registered in the office of Registrar, Public Trust Bijapur vide No. 01, dated 04-06-2010, which is as follows :—

S. No. (1)	Nominated Chairperson/Member (2)	Designation (3)
1.	Field Director, Indrawati Tiger Reserve	Chairperson
2.	Deputy Director, Indrawati Tiger Reserve	Member-Secretary
3.	Two representatives of Ecodevelopment Committees working in the Tiger Reserve to be nominated in the Governing Body.	Member
4.	Two members of frontline staff of the Tiger Reserve	Member

The Executive Committee will be regulated and directed according to National Tiger Conservation Authority (Tiger Conservation Foundation) Guidelines, 2007 issued by Government of India, Ministry of Environment and Forest, New Delhi.

The non-government member of The Executive Committee shall be entitled for TA, DA and stay facility of Boarding and Lodging as per rule equivalent to Government Servants Class-I.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
B. S. ANANT, Secretary.

रायपुर, दिनांक 11 सितम्बर 2012

क्रमांक एफ 1-125/व.सं./2001.—नये जिले गठित किए जाने के फलस्वरूप, छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-125/व.सं./2001 दिनांक 20 जुलाई 2001 द्वारा गठित पूर्व रायपुर वनमंडल, उदंती वनमंडल, गरियाबंद वनमंडल, बिलासपुर वनमंडल, मरवाही वनमंडल तथा दुर्ग वनमंडल की अधिसूचनाओं में आंशिक संशोधन करते हुए राज्य शासन द्वारा वनमंडलों का पुनर्गठन निम्नानुसार किया जाता है, यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे :—

वृत्त का नाम	जिले का नाम	वन मंडल का नाम (मुख्यालय)	उप वन मंडल का नाम (मुख्यालय)	क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)	परिक्षेत्र एवं काष्ठागार का नाम (मुख्यालय)	उप वन मंडल की सीमाओं का विवरण	वन मंडल की सीमाओं का विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
रायपुर	रायपुर	रायपुर वनमंडल, (रायपुर)	1.रायपुर (रायपुर)	31.69	1.रायपुर (रायपुर) 2.राजधानी परियोजना परिक्षेत्र रायपुर (रायपुर)	**उत्तर**—बलौदाबाजार जिले की दक्षिणी सीमा। **पूर्व**— महासमुन्द एवं गरियाबंद जिले की पश्चिमी सीमा। **दक्षिण**— धमतरी जिले की उत्तरी सीमा। **पश्चिम**— दुर्ग एवं बेमेतरा जिले की पूर्वी सीमा	**उत्तर**—बलौदाबाजार जिले की दक्षिणी सीमा **पूर्व**— महासमुन्द एवं गरियाबंद जिले की पश्चिमी सीमा **दक्षिण**— धमतरी जिले की उत्तरी सीमा **पश्चिम**— दुर्ग एवं बेमेतरा जिले की पूर्वी सीमा
—"—	—"—	—"—	2. प्रभारी अधिकारी नारंगी क्षेत्र ईकाई क्रमांक —1 (रायपुर)	—	—	प्रस्तावित रायपुर एवं बलौदाबाजार वनमंडल का सम्पूर्ण क्षेत्र	
—"—	—"—	—"—	3.प्रभारी अधिकारी नारंगी क्षेत्र ईकाई क्रमांक —2 (महासमुंद)	—	—	महासमुन्द एवं गरियाबंद वनमंडल का सम्पूर्ण क्षेत्र	
—"—	—"—	—"—	4. अधीक्षक नंदनवन (रायपुर)	0.17	1. नंदनवन (नंदनवन)	**उत्तर**— हतबंद नया बस्ती, हतबंद से तेंदुआ सी. सी. रोड (665 रनिंग मीटर) **पूर्व**— खसरा नं. 173, भाग 171/3, 171/4 **दक्षिण**— खसरा नं. 2/1, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 18/1, 18/2, 18/3, 35, 36 **पश्चिम**— हथबंद से चंदनीडीह मार्ग खसरा नं. 9/1, 9/2, 5, 7, 8, 11, 10/1, 10/2,134/2, 134/3, 135/2, 135/3,	
रायपुर वनमंडल का योग				31.86			

वृत्त का नाम	जिले का नाम	वन मंडल का नाम (मुख्यालय)	उप वन मंडल का नाम (मुख्यालय)	क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)	परिक्षेत्र एवं काष्ठागार का नाम (मुख्यालय)	उप वन मंडल की सीमाओं का विवरण	वन मंडल की सीमाओं का विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
रायपुर	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार (बलौदाबाजार)	1.बलौदाबाजार (बलौदाबाजार)	216 559	1.बलौदाबाजार (बलौदाबाजार) 2.लवन (बार)	**उत्तर**– बिलासपुर एवं जांजगीर–चांपा जिले की सीमा। **पूर्व**– महानदी सोनाखान परिक्षेत्र की दक्षिणी सीमा, बारनवापारा अभ्यारण्य की उत्तरी (आंशिक) एवं पश्चिमी सीमा **दक्षिण**–महासमुंद एवं रायपुर जिले की उत्तरी सीमा। **पश्चिम**– बेमेतरा जिले की सीमा	**उत्तर**– बिलासपुर एवं जांजगीर–चांपा जिले की सीमा। **पूर्व**– रायगढ़ जिले की सीमा। **दक्षिण**– महासमुंद एवं रायपुर जिले की उत्तरी सीमा। **पश्चिम**– बेमेतरा जिले की सीमा
–	–"–	–"–	2.कसडोल (कसडोल)	668.283	1. सोनाखान (कसडोल) 2. अर्जुनी (अर्जुनी) 3. बिलाईगढ़ (बिलाईगढ़) 4.देवपुर (देवपुर) 5. कसडोल उत्पादन (कसडोल) 6. देवपुर उत्पादन (देवपुर)	**उत्तर**– जांजगीर–चांपा जिले की सीमा। **पूर्व**– रायगढ़ जिले की सीमा। **दक्षिण**– महासमुन्द जिले की उत्तरी सीमा। **पश्चिम**–बारनवापारा अभ्यारण्य की पूर्वी एवं उत्तरी सीमा तथा सोनाखान परिक्षेत्र की दक्षिणी सीमा, महानदी।	
–"–	–"–	–"–	3. बारनवापारा अभ्यारण्य (बारनवापारा)	249.70	1.कोठारी(कोठारी) 2.बारनवापारा (बारनवापारा)	**उत्तर**–कक्ष क. 78,77, 175, 201 बी.,203,206,231, 230, 228 की उत्तरी सीमा **पूर्व**– कक्ष क.223, 217, 218, 219,220,149,151,143, 144, 113, 112, 128 पकरीद ग्राम 130, 123 की पूर्वी सीमायें। **दक्षिण**– कक्ष क. 122, 131, ED/ 112, ED/113, ED/114 /115 की दक्षिणी सीमा **पश्चिम**– कक्ष क./78, 79,177, 178, 106, 105, 104 (बालमदेही नदी) ED/186, ED/170, ED/143, ED/ 145, 161	
बलौदाबाजार वनमंडल का योग				**1154.542**			

वृत्त का नाम	जिले का नाम	वन मंडल का नाम (मुख्यालय)	उप वन मंडल का नाम (मुख्यालय)	क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)	परिक्षेत्र एवं काष्ठागार का नाम (मुख्यालय)	उप वन मंडल की सीमाओं का विवरण	वन मंडल की सीमाओं का विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
रायपुर	गरियाबंद	गरियाबंद (गरियाबंद)	1.राजिम (राजिम)	780.86	1. फिंगेश्वर (फिंगेश्वर) 2. पाण्डुका (पाण्डुका) 3.छुरा (छुरा) 4.परसुली (परसुली)	**उत्तर**– रायपुर एवं महासमुंद जिले की सीमा। **पूर्व**– उड़ीसा प्रान्त की सीमा। **दक्षिण**– धवलपुर एवं नवागढ़ परिक्षेत्र की उत्तरी सीमा। **पश्चिम**– गरियाबंद परिक्षेत्र की पूर्वी, उत्तरी सीमा एवं धमतरी जिले की सीमा।	भाग–"अ" **उत्तर**–रायपुर एवं महासमुंद जिले की सीमा। **पूर्व**– उड़ीसा प्रान्त एवं उदन्ती–सीतानदी टायगर रिजर्व की सीमा। **दक्षिण**–उदन्ती–सीतानदी टायगर रिजर्व की उत्तरी सीमा। **पश्चिम**–धमतरी जिले की सीमा।
–"–	–"–	–"–	2.गरियाबंद (गरियाबंद)	607.01	1.गरियाबंद (गरियाबंद) 2. नवागढ(नवागढ) 3. धवलपुर (धवलपुर) 4.गरियाबंद उत्पादन (गरियाबंद) 5. धवलपुर उत्पादन (धवलपुर) 6.गरियाबंद काष्ठागार (गरियाबंद)	**उत्तर**–पाण्डुका परिक्षेत्र की दक्षिणी सीमा एवं परसुली परिक्षेत्र की पश्चिमी तथा दक्षिणी सीमा। **पूर्व**– उड़ीसा प्रान्त की सीमा तथा उदन्ती–सीतानदी टायगर रिर्जव की सीमा। **दक्षिण**– मैनपुर परिक्षेत्र की उत्तरी सीमा । **पश्चिम**–धमतरी जिले की सीमा।	
–"–	–"–	–"–	3.देवभोग (देवभोग)	563.991	1. मैनपुर (मैनपुर) 2. इंदागाँव (देवभोग) 3. मैनपुर उत्पादन (मैनपुर)	भाग(अ) उत्तर– नवागढ़ परिक्षेत्र एवं धवलपुर परिक्षेत्र की दक्षिणी सीमा **पूर्व**–उदन्ती– सीतानदी टायगर रिजर्व की पश्चिमी सीमा कक्ष क्र. 898 से 933 तक एवं ग्राम–देवडोंगर की पूर्वी सीमा। दक्षिण–उदन्ती–सीतानदी टायगर रिजर्व की उत्तरी सीमा। **पश्चिम**– धमतरी जिले की सीमा। भाग(ब) उत्तर–उदन्ती–सीतानदी टायगर रिजर्व की दक्षिणी सीमा एवं उड़ीसा प्रान्त की सीमा। **पूर्व**– उड़ीसा प्रान्त की सीमा। **दक्षिण**–उड़ीसा प्रान्त की सीमा। **पश्चिम**–उड़ीसा प्रान्त की सीमा।	भाग(ब) **उत्तर**–उदन्ती–सीतानदी टायगर रिजर्व की दक्षिणी सीमा एवं उड़ीसा प्रान्त की सीमा। **पूर्व**–उड़ीसा प्रान्त की सीमा। **दक्षिण**–उड़ीसा प्रान्त की सीमा। **पश्चिम**–उड़ीसा प्रान्त की सीमा।
गरियाबंद वनमंडल का योग				1951.861			

वृत्त का नाम	जिले का नाम	वन मंडल का नाम (मुख्यालय)	उप वन मंडल का नाम (मुख्यालय)	क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)	परिक्षेत्र एवं काष्ठागार का नाम (मुख्यालय)	उप वन मंडल की सीमाओं का विवरण	वन मंडल की सीमाओं का विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
बिलासपुर	बिलासपुर	बिलासपुर (बिलासपुर)	1.बिलासपुर (बिलासपुर)	342.570	1.बिलासपुर (बिलासपुर) 2.तखतपुर (तखतपुर) 3.रतनपुर (रतनपुर) 4.उड़नदस्ता (बिलासपुर)	**उत्तर**–लोरमी,कोटा विकास खंड की सीमा एवं अरपा नदी के साथ कक्ष क्रं. 1053, 1044, 1045, 1047, 1048. **पूर्व**–कोरबा एवं जांजगीर–चांपा जिले की सीमा। **दक्षिण**–शिवनाथ नदी एवं दुर्ग जिले की सीमा। **पश्चिम**– पथरिया, मुंगेली एवं लोरमी विकास खंड की सीमा।	**उत्तर**– गौरेला विकासखंड की सीमा एवं गौरेला तथा पेण्ड्रा परिक्षेत्र की सीमा। **पूर्व**– कोरबा एवं जांजगीर–चांपा जिले की सीमा। **दक्षिण**–शिवनाथ नदी एवं रायपुर जिले की सीमा। **पश्चिम**–पथरिया, मुंगेली एवं लोरमी विकास खंड की सीमा, अचानकमार टाईगर रिजर्व की सीमा एवं गौरेला विकास खंड की सीमा।
–"–	–"–	–"–	2. कोटा (कोटा)	440.792	1.बेलगहना (बेलगहना) 2.कोटा (कोटा) 3.विक्रय डिपो कोटा (कोटा)	**उत्तर**– गौरेला विकासखंड की सीमा एवं गौरेला तथा पेण्ड्रा परिक्षेत्र की सीमा। **पूर्व**– कोरबा जिले की सीमा **दक्षिण**–रतनपुर एवं कोटा परिक्षेत्र की सीमा। **पश्चिम**–लोरमी विकासखंड की सीमा एवं अचानकमार टाईगर रिजर्व की सीमा तथा गौरेला परिक्षेत्र की सीमा।	
बिलासपुर वनमंडल का योग				783.362			
बिलासपुर	मुंगेली	मुंगेली (मुंगेली)	1. लोरमी (लोरमी)	515.27	1.खुड़िया (खुड़िया) 2. लोरमी (लोरनी) 3.शिव्तराई (शिव्तराई) 4.लोरमी उत्पा. (लोरमी)	**उत्तर** – मध्य प्रदेश राज्य की सीमा। **पूर्व**–गौरेला विकास खंड, अचानकमार टाईगर रिजर्व तथा कोटा एवं तखतपुर विकास खंड की सीमा। **दक्षिण**–मुंगेली विकासखंड की सीमा। **पश्चिम**–कबीरधाम जिला की सीमा एवं म.प्र. राज्य की सीमा	**उत्तर** – मध्य प्रदेश राज्य की सीमा। **पूर्व**– गौरेला विकास खंड, अचानकमार टाईगर रिजर्व तथा कोटा एवं तखतपुर विकास खंड की सीमा। **दक्षिण**–पथरिया विकास खंड एवं दुर्ग जिले की सीमा। **पश्चिम**– कबीरधाम जिले की सीमा एवं मध्यप्रदेश राज्य की सीमा।
–"–	–"–	–"–	2. मुंगेली (मुंगेली)	–	1.मुंगेली (कृषि वानिकी) परिक्षेत्र (मुंगेली) 2. पथरिया (कृषि वानिकी) परिक्षेत्र (पथरिया) 3.वनमंडल स्तरीय उड़नदस्ता (मुंगेली)	**उत्तर**– लोरमी विकासखंड की सीमा। **पूर्व**– तखतपुर एवं बिल्हा विकासखंड की सीमा। **दक्षिण**–शिवनाथ नदी एवं दुर्ग जिले की सीमा। **दक्षिण**– कबीरधाम जिला की सीमा।	
मुंगेली वनमंडल का योग				515.270			

वृत्त का नाम	जिले का नाम	वन मंडल का नाम (मुख्यालय)	उप वन मंडल का नाम (मुख्यालय)	क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)	परिक्षेत्र एवं काष्ठागार का नाम (मुख्यालय)	उप वन मंडल की सीमाओं का विवरण	वन मंडल की सीमाओं का विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
बिलासपुर	बिलासपुर	मरवाही (पेण्ड्रारोड)	1. पेण्ड्रा (पेण्ड्रारोड)	474.515	1.मरवाही (मरवाही) 2.पेण्ड्रा (पेण्ड्रा) 3.काष्ठागार मड़ना (पेण्ड्रारोड)	**उत्तर**–जिला अनुपपुर (म.प्र. राज्य) की सीमा **पूर्व**– कोरबा जिले की सीमा **दक्षिण**–कोटा विकासखण्ड की सीमा एवं अचानकमार टाईगर रिजर्व की सीमा **पश्चिम**– विकासखण्ड गौरेला की सीमा,	**उत्तर**–जिला अनुपपुर (म.प्र. राज्य) की सीमा **पूर्व**– कोरबा जिले की सीमा **दक्षिण**–कोटा एवं लोरमी विकासखण्ड की सीमा **पश्चिम**–लोरमी विकासखण्ड एवं जिला अनुपपुर (म.प्र. राज्य) की सीमा
–"–	–"–	–"–	2. गौरेला (गौरेला)	588.218	1.गौरेला (गौरेला) 2. खोड़्री (खोड़्री) 3.गौरेला (उत्पादन) (पेण्ड्रारोड)	**उत्तर**–जिला अनुपपुर एवं विकासखण्ड मरवाही की सीमा **पूर्व**–विकासखण्ड पेण्ड्रा एवं कोरबा जिले की सीमा **दक्षिण**– विकास खण्ड कोटा की सीमा एवं अचानकमार टाईगर रिजर्व की सीमा **पश्चिम**–विकास खण्ड लोरमी एवं जिला अनूपपुर (म.प्र. राज्य) की सीमा	
					4.उड़नदस्ता परिक्षेत्र (पेण्ड्रारोड)	ओव्हर लेपिंग क्षेत्र संपूर्ण मरवाही वनमंडल	
मरवाही वनमंडल का योग				1062.733			
दुर्ग	दुर्ग	दुर्ग (दुर्ग)	1.दुर्ग (दुर्ग)	0.29	1.दुर्ग (दुर्ग) 2. धमधा (कुम्हारी)	उत्तर– उप वनमंडल बेमेतरा की सीमा। पूर्व– रायपुर/धमतरी जिले की सीमा दक्षिण– धमतरी/ नवगठित बालोद जिले की सीमा पश्चिम–राजनांदगाँव जिले की सीमा।	उत्तर–नवगठित मुंगेली जिले की सीमा। पूर्व–रायपुर/नवगठित बलौदाबाजार जिले की सीमा। दक्षिण–धमतरी/ नवगठित बालोद जिले की सीमा पश्चिम–राजनांदगाँव/कवर्धा जिले की सीमा।
					वनमंडल स्तरीय उड़नदस्ता	–	
दुर्ग	बेमेतरा	दुर्ग (दुर्ग)	1. बेमेतरा (बेमेतरा)	-	1. बेमेतरा (बेमेतरा) 2. साजा (साजा)	**उत्तर**–नवगठित मुंगेली जिले की सीमा। पूर्व– नवगठित बलौदाबाजार जिले की सीमा। दक्षिण–उप वनमंडल दुर्ग की सीमा। पश्चिम–कवर्धा जिले की सीमा।	
दुर्ग वनमण्डल का योग				0.29			

वृत्त का नाम	जिले का नाम	वन मंडल का नाम (मुख्यालय)	उप वन मंडल का नाम (मुख्यालय)	क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)	परिक्षेत्र एवं काष्ठागार का नाम (मुख्यालय)	उप वन मंडल की सीमाओं का विवरण	वन मंडल की सीमाओं का विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
दुर्ग	बालोद	बालोद (बालोद)	1. बालोद (बालोद)	316.02	1.बालोद (बालोद) 2.गुरूर(गुरूर) 3.काष्ठागार बालोद (बालोद) 4. उत्पादन परिक्षेत्र बालोद (बालोद) (कार्य क्षेत्र संपूर्ण वनमंडल)	**उत्तर**—दुर्ग जिले की सीमा। **पूर्व**— धमतरी जिले की सीमा। **दक्षिण**—धमतरी जिले/ दल्लीराजहरा उपवनमंडल की सीमा। **पश्चिम**— दल्लीराजहरा उपवनमंडल की सीमा । वनमंडल स्तरीय उड़नदस्ता (बालोद)	**उत्तर**— राजनांदगाँव/दुर्ग जिले की सीमा **पूर्व**— धमतरी जिले की सीमा **दक्षिण**—कांकरे जिले की सीमा **पश्चिम**—कांकेर/ राजनांदगाँव जिले की सीमा।
—"—	—"—	—"—	2.दल्लीराजहरा (दल्लीराजहरा)	546.90	1.डौण्डी (डौण्डी) 2. दल्ली (दल्ली) 3. लोहारा (लोहारा)	**उत्तर**—राजनांदगाँव जिले की सीमा। **पूर्व**—बालोद उप वनमंडल की सीमा। **दक्षिण**—कांकेर जिले की सीमा। **पश्चिम**—कांकेर/ राजनांदगाँव जिले की सीमा।	
बालोद वनमंडल का योग				862.92			

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. टी. नंदी, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 11 सितम्बर 2012

क्रमांक एफ 1-125/व.सं./2001..—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-125/व.सं./2001, दिनांक 11-09-2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. टी. नंदी, विशेष सचिव.

Raipur, the 11th September 2012

No. F 1-125/V.S./2001.— Due to constitution of new districts in the state of Chhattisgarh; Government of Chhattisgarh Forest Department by partially amending notification No. F-1-125/V.S./2001 dated 20th July 2001 related to Raipur Forest Division, East Raipur Forest Division, Udanti Forest Division, Bilaspur Forest Division, Marwahi Forest Division and Durg Forest Division, reconstitutes following new forest division's as per the description given below, it shall come into force from the date of it's publication in the official gazette :—

Name of circle	Name of District	Name of Division& H.Q.	Name of Sub Division & H.Q.	Area in (Sq. Km.)	Included Range, Depot and H.Q.	Details of Sub Division Boundaries	Details of Division Boundaries
1	2	3	4	5	6	7	8
Raipur	Raipur	Raipur division (Raipur)	1.Raipur (Raipur)	31.69	1. Raipur (Raipur) 2. Capital project range, Raipur (Raipur)	**North -** Southern boundary of Balodabazar Distt. **East -** Western boundary of Mahasamund and Gariyaband Distt. **South -** Northern boundary of Dhamtari Distt. **West -** Eastern boundary of Durg and Bemetara Distt.	**North-** Southern boundary of Balodabazar Distt. **East-** Western boundary of Mahasamund and Gariyaband Distt. **South -** Northern boundary of Dhamtari Distt. **West -** Eastern boundary of Durg and Bemetara Distt.
-"-	-"-	-"-	2. Orange Area Unit No. 1	-	-	Total covered area of proposed Raipur and Balodabazar Division	
-"-	-"-	-"-	3. Orange Area Unit No. 2	-	-	Total covered area of Mahasamund and Gariyaband Division	
-"-	-"-	-"-	4. Supdtt. Nandanvan	0.17	Nandanvan (Nandanvan)	**North -** Village boundary of new Hathband, Hathband to Tendua C.C. road (665 running meter) **East -** Revenue Kh. No. 173, part 171/3 and 171/4 **South -** Revenue Kh. No. 2/1, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 18/1,18/2 18/3, 35 and 36 **West -** Hathband to Chandnidih road and Revenue Kh. No. 9/1, 9/2, 5, 7, 8, 11, 10/1, 10/2, 134/2, 134/3, 135/2, 135/3	
Total of Raipur Division				**31.86**			

Name of circle	Name of District	Name of Division& H.Q.	Name of Sub Division & H.Q.	Area in (Sq. Km.)	Included Range, Depot and H.Q.	Details of Sub Division Boundaries	Details of Division Boundaries
1	2	3	4	5	6	7	8
Raipur	Baloda Bazar	Baloda Bazar (Baloda Bazar)	1. Baloda Bazar (Baloda Bazar)	216.559	1. Baloda Bazar (Baloda Bazar) 2. Lawan (Bar)	**North -** District boundary of Bilaspur & Janjgir-Champa district **East -** Mahanadi river, Southern boundary of Sonakhan range, partly Northern boundary of Barnawapara sanctuary and western boundary of Barnawapara sanctuary **South -** Northern boundary of Mahasamund and Raipur district. **West -** District boundary of Bemetara district.	**North -** District boundary of Bilaspur & Janjgir-Champa district. **East -** District boundary of Raigarh District. **South -** District boundary of Mahasamund and Raipur district. **West -** District boundary of Bemetara.
-"-	-"-	-"-	2. Kasdol (Kasdol)	688.283	1. Sonakhan (Kasdol) 2. Arjuni (Arjuni) 3. Bilaigarh (Bilaigarh) 4. Devpur (Devpur) 5. Kasdol Production (Kasdol) 6. Devpur Production (Devpur)	**North -** District boundary of Janjgir-Champa district. **East -** District boundary of Raigarh district. **South -** Northern boundary of Mahasamund District. **West -** Eastern & Northern boundary of Barnawapara sanctuary and Southern boundary of Sonakhan range and Mahanadi river.	
-"-	-"-	-"-	3.Barnawapara Sanctuary (Barnawapara)	249.70	1. Kothari (Kothari) 2. Barnawapara (Barnawapara)	**North -** Northern boundary of comptt. No. 78, 77, 175, 201B, 203, 206, 231, 230, 228. **East -** Eastern boundary of comptt. No. 223, 217, 218, 219, 220, 149, 151, 143, 144, 113, 112, 128 and village Pakrid, and comptt No. 130, 123. **South -** Southern boundary of comptt. No. 122, 131, ED/112, ED/113, ED/114 /115 **West -** Comptt. No. 78, 79, 177, 178, 106,105,104 & Balamdehi river and comptt No. ED/186, ED/170, ED/143, ED/145, 161	
Total of Baloda Bazar Division =				**1154.542**			

Name of circle	Name of District	Name of Division& H.Q.	Name of Sub Division & H.Q.	Area in (Sq. Km.)	Included Range, Depot and H.Q.	Details of Sub Division Boundaries	Details of Division Boundaries
1	2	3	4	5	6	7	8
Raipur	Gariaband	Gariaband (Gariaband)	1. Rajim (Rajim)	780.86	1. Fingeshwar (Fingeshwar) 2. Panduka (Panduka) 3. Chhura (Chhura) 4. Parsuli (Parsuli)	**North -** District boundary of Raipur and Mahasamund district. **East -** State boundary of Orissa state. **South -** Northern boundary of Dhawalpur & Nawagarh range. **West -** Eastern & Northern boundary of Gariaband range and District boundary of Dhamtari district.	**Part - "A"** **North -** District boundary of Raipur and Mahasmaund district. **East -** State boundary of Orissa state and Udnati - Sitanadi Tiger reserve boundary. **South -** Northern boundary of Udnati - Sitanadi tiger reserve. **West -** District boundary of Dhamtari district.
-"-	-"-	-"-	2. Gariaband (Gariaband)	607.01	1. Gariaband (Gariaband) 2. Nawagarh (Nawagarh) 3. Dhawalpur (Dhawalpur) 4. Gariaband Production (Gariaband) 5. Dhawalpur Production (Dhawalpur) 6. Gariaband Depot. (Gariaband)	**North -** Southern boundary of Panduka range and western & Southern boundary of Parsuli range **East -** State boundary of Orissa state and Udanti- Sitanadi Tiger reserve boundary. **South -** Northern boundary of Mainpur range **West -** District boundary of Dhamtari district.	
-"-	-"-	-"-	3. Deobhog (Deobhog)	563.991	1. Mainpur (Mainpur) 2. Indagaon (Indagaon) 3.Mainpur Production (Mainpur)	**Part "A"** **North -** Southern boundary of Nawagarh and Dhawalpur range. **East -** Western boundary of Udanti-Sitanadi Tiger reserve and comptt. No. 898 to 933 and eastern boundary of Deodongar village. **South -** Northern boundary of Udanti-Sitanadi Tiger reserve. **West -** District boundary of Dhamtari district.	
Raipur	Gariaband	Gariaband (Gariaband)	4. Deobhog (Deobhog)			**Part "B"** **North -** Southern boundary of Udnati-Sitanadi tiger reserve and State boundary of Orissa state. **East -** State boundary of Orissa state **South -** State boundary of Orissa state **West -** State boundary of Orissa state	**Part "B"** **North -** Southern boundary of Udnati- Sitanadi tiger reserve and State boundary of Orissa state. **East -** State boundary of Orissa state **South -** State boundary of Orissa state **West -** State boundary of Orissa state
Total of Gariaband Division =				**1951.861**			

Name of circle	Name of District	Name of Division& H.Q.	Name of Sub Division & H.Q.	Area in (Sq. Km.)	Included Range, Depot and H.Q.	Details of Sub Division Boundaries	Details of Division Boundaries
1	2	3	4	5	6	7	8
Bilaspur	Bilaspur	Bilaspur (Bilasur)	1. Bilaspur (Bilasur)	342.570	1. Bilaspur (Bilasur) 2. Takhatpur (Takhatpur) 3. Ratanpur (Ratanpur) 4. Flying Squad (Bilaspur)	**North** – Lormi, Kota Block Boundary & Arpa river, Compt. No. 1053, 1044, 1045, 1047, 1048 **East** - Korba & Janjgir Champa District Boundary **South** – Shivnath river & Durg District Boundary **West**– Patharia, Mungeli & Lormi Block Boundary	**North**–Gaurela Block & Gaurela, Pendra Range Boundary **East** – Korba & Janjgir Champa District Boundary **South**– Shivnath river & Raipur District Boundary **West** –Patharia, Mungeli & Lormi Block Boundary, Achanakmar Tiger Reserve Boundary & Gaurela Block Boundary
-"-	-"-	-"-	2. Kota (Kota)	440.792	1.Belgahna (Belgahna) 2. Kota (Kota) 3. Sale Depot Kota (Kota)	**North**– Gaurela Block Boundary & Gaurela, Pendra Range Boundary **East** – Korba District Boundary **South** - Ratanpur & Kota Range Boundary **West**- Lormi Block Boundary & Achanakmar Tiger Reserve Boundary & Gaurela Range Boundary	
Total of Bilaspur Division				783.362			
Bilaspur	Mungeli	Mungeli (Mungeli)	1. Lormi (Lormi)	515.270	1. Khudia (Khudia) 2. Lormi (Lormi) 3. Shivtarai (Shivtarai) 4. Lormi Production (Lormi)	**North** – M.P. State Boundary **East** – Gaurela Block Boundary, Achanakmar Tiger Reverse Boundary & Kota, Takhatpur Block Boundary **South** – Mungeli Block Boundary **West** – Kabirdham District Boundary & M.P. State Boundary	**North** –M.P. State Boundary **East** – Gaurela Block Boundary, Achanakmar Tiger Reverse Boundary & Kota, Takhatpur Block Boundary **South** – Patharia Block Boundary & Durg District Boundary **West** – Kabirdham District Boundary & M.P. State Boundary
-"-	-"-	-"-	2. Mungeli (Mungeli)		1. Mungeli Agro Forestry Range (Mungeli) 2. Patharia Agro Forestry Range (Patharia) 3. Divisional Flying Squad (Mungeli)	**North** – Lormi Block Boundary **East** – Takhatpur & Bilha Block Boundary **South** – Shivnath River & Durg District Boundary **West**– Kabirdham District Boundary	
Total of Mungeli Division				515.270			

Name of circle	Name of District	Name of Division& H.Q.	Name of Sub Division & H.Q.	Area in (Sq. Km.)	Included Range, Depot and H.Q.	Details of Sub Division Boundaries	Details of Division Boundaries
1	2	3	4	5	6	7	8
Bilaspur	Marwahi	Marwahi (Pendra Road)	1. Pendra (Pendra Road)	474.515	1. Marwahi (Marwahi) 2. Pendra (Pendra) 3. Depot Madna (Pendra Road)	**North** – Anooppur District (M.P. State) Boundary **East** – Korba District Boundary **South** – Kota Block Boundary **West** – Gaurela Block Boundary	**North** – Anooppur District (M.P. State) Boundary **East** – Korba District Boundary **South** – Kota & Lormi Block Boundary **West** – Lormi Block Boundary & Anooppur District (M.P. State) Boundary
-"-	-"-	-"-	2. Gaurela (Gaurela)	588.218	1.Gaurela (Gaurela) 2. Khodari (Khodari) 3. Gaurela Production (Pendra Road)	**North** – Anooppur (M.P. State) Boundary & Marwahi Block Boundary **East** – Pendra Block & Korba District Boundary **South** – Kota Block & Achanakmar Tiger Reverse Boundary Boundary **West**– Lormi Block & Anooppur (M.P. State) Boundary	
					4. Range Level Flying Squad Pendra Road)	Over Lapping Marwahi Divison	
— Total of Marwahi Division				1062.733			
Durg	Durg	Durg (Durg)	1. Durg (Durg)	0.29	1. Durg (Durg) 2. Dhamdha (Kumhari)	**North** – Forest Sub Division Bemetra Boundary **East** – Raipur/Dhamtari District Boundary **South** – Newly formed Balod /Dhamtari District Boundary **West**– Rajnandgaon District Boundary	**North**–Newly formed Mungeli - District Boundary **East** – Raipur/ Newly formed Baloda bazar District Boundary **South**–Dhamtari / Newly formed Balod District Boundary **West** – Rajnandgaon / Kawardha District Boundary
					Divisional Flying Squad (Headquarter - Durg)		
	Bemetra		2. Bemetra (Bemetra)	-	1. Bemetra (Bemetra) 2. Saja (Saja)	**North**– Newly formed Mungeli District Boundary **East** – Newly formed Baloda Bazar District Boundary **South**– Forest Sub Division Durg Boundary **West**– Kawardha District Boundary	
			Total :-	0.29			

Name of Circle	Name of District	Name of Division& H.Q.	Name of Sub Division & H.Q.	Area in (Sq. Km.)	Included Range, Depot and H.Q.	Details of Sub Division Boundaries	Details of Division Boundaries
1	2	3	4	5	6	7	8
Durg	Balod	Balod (Balod)	1. Balod (Balod)	316.02	1. Balod (Balod) 2. Gurur (Gurur) 3. Balod Depot (Balod) 4. Production Range Balod (Balod) (whole Area of Division)	**North** – Durg District Boundary **East** – Dhamtari District Boundary **South** – Dhamtari District /Dallirajhara Forest Sub Division Boundary **West** – Dallirajhara Forest Sub Division Boundary	**North** –Rajnandgaon /Durg District Boundary **East** – Dhamtari District Boundary **South** – Kanker District Boundary **West** – Kanker / Rajnandgaon District Boundary
					Divisional Flying Squad (Head Quarter-Balod)		
-"-	-"-	-"-	2. Dallirajhara (Dallirajhara)	546.90	1. Dondi (Dondi) 2. Dalli (Dalli) 3. Lohara (Lohara)	**North** – Rajnandgaon District Boundary **East** – Balod Forest Sub Division Boundary **South** – Kanker District Boundary **West**– Kanker – Rajnandgaon District Boundary	
Total of Durg Division				**862.92**			

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
M .T. NANDY, Special Secretary.

रायपुर, दिनांक 11 सितम्बर 2012

क्रमांक एफ 1-125/व.सं./2001.—नये जिले गठित किए जाने के फलस्वरूप, मध्यप्रदेश शासन वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 25-10 दस-3-1994 दिनांक 07 अक्टूबर, 1994 द्वारा गठित उत्तर सरगुजा वनमंडल, दक्षिण सरगुजा वनमंडल एवं पूर्वी सरगुजा वनमंडल की अधिसूचनाओं में आंशिक संशोधन करते हुए राज्य शासन द्वारा वनमंडलों का पुनर्गठन निम्नानुसार किया जाता है, यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे :—

वृत्त का नाम	जिले का नाम	वन मंडल का नाम (मुख्यालय)	उप वन मंडल का नाम (मुख्यालय)	क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)	परिक्षेत्र एवं काष्ठागार का नाम (मुख्यालय)	उप वन मंडल की सीमाओं का विवरण	वन मंडल की सीमाओं का विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
सरगुजा	सरगुजा	सरगुजा वनमंडल (अम्बिकापुर)	1.अम्बिकापुर (अम्बिकापुर)	306.399	1.अम्बिकापुर (अम्बिकापुर) 2.लुण्ड्रा (लुण्ड्रा) 3.विक्रय काष्ठागार, अम्बिकापुर (अम्बिकापुर) 4.प्रभारी अधिकारी उड़नदस्ता ईकाई (अम्बिकापुर)	**उत्तर**— सूरजपुर जिले के सूरजपुर परिक्षेत्र की सीमा एवं बलरामपुर जिले के राजपुर परिक्षेत्र एवं शंकरगढ़ परिक्षेत्र की सीमा। **पूर्व**— बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ परिक्षेत्र की सीमा एवं जशपुर जिले की सीमा तथा सरगुजा वनमंडल के सीतापुर परिक्षेत्र की सीमा। **दक्षिण**— सरगुजा वनमंडल के सीतापुर परिक्षेत्र की सीमा एवं मैनपाट परिक्षेत्र की सीमा। **पश्चिम**— सरगुजा वनमंडल के मैनपाट परिक्षेत्र की सीमा, परिक्षेत्र लखनपुर की सीमा तथा सूरजपुर जिले के सूरजपुर परिक्षेत्र की सीमा।	**उत्तर**— सूरजपुर जिले के सूरजपुर परिक्षेत्र की सीमा एवं बलरामपुर जिले के राजपुर परिक्षेत्र एवं शंकरगढ़ परिक्षेत्र की सीमा। **पूर्व**— बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ परिक्षेत्र की सीमा एवं जशपुर जिले की सीमा। **दक्षिण**— जशपुर जिले की सीमा एवं रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ वनमंडल की सीमा तथा कोरबा जिले के कटघोरा वनमंडल की सीमा। **पश्चिम**— रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ वनमंडल की सीमा तथा सूरजपुर जिले के रामानुजनगर एवं सूरजपुर परिक्षेत्र की सीमा।
—"—	—"—	—"—	2.सीतापुर (सीतापुर)	403.964	1. सीतापुर (सीतापुर) 2. मैनपाट (कमलेश्वरपुर)	**उत्तर**—सरगुजा जिले के परिक्षेत्र लुण्ड्रा एवं जशपुर जिले की सीमा। **पूर्व**— जशपुर जिले की सीमा। **दक्षिण**— जशपुर जिले की सीमा एवं रायगढ़, जिले के धरमजयगढ़ वनमंडल की सीमा तथा सरगुजा वनमंडल के लखनपुर परिक्षेत्र की सीमा। **पश्चिम**— सरगुजा वनमंडल के लखनपुर परिक्षेत्र की सीमा, परिक्षेत्र अम्बिकापुर की सीमा एवं लुण्ड्रा परिक्षेत्र की सीमा।	

वृत्त का नाम	जिले का नाम	वन मंडल का नाम (मुख्यालय)	उप वन मंडल का नाम (मुख्यालय)	क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)	परिक्षेत्र एवं काष्ठागार का नाम (मुख्यालय)	उप वन मंडल की सीमाओं का विवरण	वन मंडल की सीमाओं का विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
सरगुजा	सरगुजा	सरगुजा वनमंडल (अम्बिकापुर)	3. उदयपुर (उदयपुर)	718.968	1.उदयपुर (उदयपुर) 2. लखनपुर (लखनपुर) 3. उत्पादन ईकाई (उदयपुर)	**उत्तर**—सूरजपुर जिले के परिक्षेत्र सूरजपुर की सीमा। **पूर्व**— सूरजपुर जिले के परिक्षेत्र सूरजपुर की सीमा एवं सरगुजा जिले के अम्बिकापुर परिक्षेत्र तथा मैनपाट परिक्षेत्र की सीमा। **दक्षिण**— सरगुजा वनमंडल के मैनपाट परिक्षेत्र की सीमा एवं कोरबा जिले के कटघोरा वनमंडल की सीमा। **पश्चिम**— कोरबा जिले कटघोरा वनमंडल की सीमा एवं सूरजपुर जिले के रामानुजनगर परिक्षेत्र, सूरजपुर परिक्षेत्र की सीमा।	
			4.वन व्यवस्थापन ईकाई (अम्बिकापुर)		सरगुजा, सूरजपुर, बल्रामपुर, कोरिया एवं मनेन्द्रगढ़ वन मंडल का सम्पूर्ण क्षेत्र।		
सरगुजा वनमंडल का योग				1429.331			
सरगुजा	सूरजपुर	सूरजपुर वनमंडल (सूरजपुर)	1.सूरजपुर (सूरजपुर)	480.340	1. सूरजपुर (सूरजपुर) 2.रामानुजनगर (रामानुजनगर)	**उत्तर** — सूरजपुर ज़िले के कुदरगढ़ परिक्षेत्र की सीमा एवं प्रतापपुर परिक्षेत्र की सीमा। **पूर्व**—बलरामपुर जिले के राजपुर परिक्षेत्र की सीमा एवं सरगुजा वनमंडल के अम्बिकापुर,लखनपुर एवं उदयपुर परिक्षेत्र की सीमा। **दक्षिण**—कोरबा जिले के कटघोरा वनमंडल की सीमा **पश्चिम**— कोरबा जिले के कटघोरा वनमंडल की सीमा तथा कोरिया जिले के कोरिया वनमंडल की सीमा	**उत्तर**—गुरुघासीदास राष्ट्रीय उद्यान की सीमा, मध्यप्रदेश के सीधी जिले की सीमा तथा बलरामपुर जिले के बलरामपुर वनमंडल के परिक्षेत्र रघुनाथनगर एवं वाड्रफनगर परिक्षेत्र की सीमा। **पूर्व** — बलरामपुर जिले के बलरामपुर वनमण्डल के वाड्रफनगर परिक्षेत्र की सीमा, राजपुर परिक्षेत्र की सीमा तथा सरगुजा जिले के परिक्षेत्र अम्बिकापुर, लखनपुर एवं उदयपुर की सीमा। **दक्षिण**— सरगुजा जिले के परिक्षेत्र उदयपुर एवं कोरबा जिले के कटघोरा वनमंडल की सीमा **पश्चिम**— कोरबा जिले के कटघोरा वनमंडल की सीमा तथा कोरिया जिले के कोरिया वनमंडल की सीमा एवं गुरुघासीदास राष्ट्रीय उद्यान की सीमा।

वृत्त का नाम	जिले का नाम	वन मंडल का नाम (मुख्यालय)	उप वन मंडल का नाम (मुख्यालय)	क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)	परिक्षेत्र एवं काष्ठागार का नाम (मुख्यालय)	उप वन मंडल की सीमाओं का विवरण	वन मंडल की सीमाओं का विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
सरगुजा	सूरजपुर	सूरजपुर वनमंडल (सूरजपुर)	2. ओड़गी (ओड़गी)	844.576	1.कुदरगढ़ (ओड़गी) 2.बिहारपुर (बिहारपुर)	उत्तर–मध्यप्रदेश के सीधी जिले की सीमा। पूर्व– बलरामपुर जिले के बलरामपुर वनमंडल के रघुनाथनगर परिक्षेत्र की सीमा एवं तमोर पिंगला अभ्यारण्य की सीमा तथा घुई परिक्षेत्र की सीमा। दक्षिण–उप वनमंडल प्रतापपुर के प्रतापपुर परिक्षेत्र की सीमा एवं सूरजपुर परिक्षेत्र की सीमा। पश्चिम–कोरिया जिले के कोरिया वनमंडल की सीमा एवं गुरूघासीदास राष्ट्रीय उद्यान की सीमा तथा मध्यप्रदेश के सीधी जिले की सीमा।	
–"–	–"–	–"–	3. प्रतापपुर (प्रतापपुर)	437.014	1. प्रतापपुर (प्रतापपुर) 2. घुई (घुई)	उत्तर–तमोर पिंगला अभ्यारण्य की सीमा तथा बलरामपुर वनमंडल के वाड्रफनगर परिक्षेत्र की सीमा। पूर्व– बलरामपुर वनमंडल के वाड्रफनगर परिक्षेत्र की सीमा तथा राजपुर परिक्षेत्र की सीमा। दक्षिण– बलरामपुर वनमंडल के राजपुर परिक्षेत्र की सीमा से सूरजपुर परिक्षेत्र की सीमा। पश्चिम–सूरजपुर परिक्षेत्र की सीमा से कुदरगढ़ परिक्षेत्र की सीमा तथा तमोर पिंगला अभ्यारण की सीमा।	
			4. तमोर पिंगला अभ्यारण, (रमकोला)	589.215		मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 10.03.1978 की अधिसूचना अनुसार सीमाएं।	
सूरजपुर वनमंडल का योग				2351.145			
सरगुजा	बलरामपुर	बलरामपुर वनमंडल (बलरामपुर)	1.वाड्रफनगर (वाड्रफनगर)	1110.229	1. वाड्रफनगर (वाड्रफनगर) 2. रघुनाथनगर (रघुनाथनगर) 3.धमनी (नवाडीह) 4.विक्रय काष्ठागार वाड्रफनगर (वाड्रफनगर)	उत्तर– मध्यप्रदेश के सीधी जिले की सीमा तथा उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले की सीमा तथा झारखण्ड राज्य के गढ़वा जिले की सीमा। पूर्व– झारखण्ड राज्य के गढ़वा जिले की सीमा से बलरामपुर जिले के रामानुजगंज बलरामपुर परिक्षेत्र की सीमा तथा सेमरसोत अभ्यारण्य की सीमा । दक्षिण– सेमरसोत अभ्यारण्य की सीमा तथा सूरजपुर जिले के प्रतापपुर परिक्षेत्र की सीमा। पश्चिम -- सूरजपुर जिले के प्रतापपुर परिक्षेत्र की सीमा से घुई परिक्षेत्र की सीमा, तमोर पिंगला अभ्यारण्य की सीमा एवं बिहारपुर परिक्षेत्र की सीमा तथा मध्यप्रदेश के सीधी जिले की सीमा तक।	उत्तर– मध्यप्रदेश के सीधी जिले की सीमा एवं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र ज़िले की सीमा तथा झारखण्ड राज्य के गढ़वा जिले की सीमा। पूर्व– झारखण्ड राज्य के गढ़वा जिले की सीमा। दक्षिण– झारखण्ड राज्य के गढ़वा जिले की सीमा तथा जशपुर जिला एवं सरगुजा जिले की सीमा । पश्चिम -- सरगुजा जिले की सीमा से सूरजपुर जिले की सीमा तथा मध्यप्रदेश के सीधी जिले की सीमा तक।

वृत्त का नाम	जिले का नाम	वन मंडल का नाम (मुख्यालय)	उप वन मंडल का नाम (मुख्यालय)	क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)	परिक्षेत्र एवं काष्ठागार का नाम (मुख्यालय)	उप वन मंडल की सीमाओं का विवरण	वन मंडल की सीमाओं का विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
सरगुजा	बलरामपुर	बलरामपुर वनमंडल (बलरामपुर)	2.बलरामपुर (बलरामपुर)	1008.490	1. बलरामपुर (बलरामपुर) 2. रामानुजगंज (रामानुजगंज) 3. चांदो (चांदो)	**उत्तर**— झारखण्ड राज्य के गढ़वा जिले की सीमा **पूर्व**— झारखण्ड राज्य के गढ़वा जिले की सीमा से कुसमी वन परिक्षेत्र की सीमा। **दक्षिण**— कुसमी वन परिक्षेत्र को सीमा से बलरामपुर वन परिक्षेत्र एवं सेमरसोत अभ्यारण्य की सीमा । **पश्चिम**—सेमरसोत अभ्यारण्य की सीमा तथा वाड्रफनगर, धमनी परिक्षेत्र की सीमा एवं झारखंड राज्य के गढ़वा जिले की सीमा।	
—"—	—"—	—"—	3.राजपुर, (राजपुर)	933.242	1. राजपुर (राजपुर) 2. शंकरगढ़(शंकरगढ़) 3. कुसमी (कुसमी)	**उत्तर**— सेमरसोत अभ्यारण्य की सीमा तथा बलरामपुर, चांदो परिक्षेत्र की सीमा । **पूर्व**— चांदो परिक्षेत्र की सीमा तथा झारखण्ड राज्य के गढ़वा जिले की सीमा । **दक्षिण**— झारखण्ड राज्य के गढ़वा जिले की सीमा तथा जशपुर जिले की सीमा एवं सरगुजा जिले के लुण्ड्रा, अम्बिकापुर परिक्षेत्र की सीमा । **पश्चिम**—सरगुजा जिले के अम्बिकापुर परिक्षेत्र की सीमा तथा सूरजपुर जिले के सूरजपुर, प्रतापुर परिक्षेत्र एवं सेमरसोत अभ्यारण्य की सीमा ।	
—"—	—"—	—"—	4.सेमरसोत अभ्यारण (बलरामपुर)	281.158		मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 10.03.1978 के अधिसूचना अनुसार सीमाएं।	
बलरामपुर वनमंडल का योग				3333.119			

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. टी. नंदी, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 11 सितम्बर 2012

क्रमांक एफ 1-125/व.सं./2001.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-125/व.सं./2001 दिनांक 11-09-2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. टी. नंदी, विशेष सचिव.

Raipur, the 11th September 2012

No. F 1-125/V.S./2001.— Due to constitution of New Districts in the State of Chhattisgarh; Government of Chhattisgarh Forest Department by partially amending notification No. F-25-10-3-1994 dated 07th October 1994 of Government of Madhya Pradesh related to North Surguja Forest Division, South Surguja Forest Division & East Surguja Forest Division, reconstitutes following new forest division's as per the description given below, it shall come into force from the date of it's publication in the official gazette :—

Name of circle	Name of District	Name of Division& H.Q.	Name of Sub Division & H.Q.	Area in (Sq. Km.)	Included Range, Depot and H.Q.	Details of Sub Division Boundaries	Details of Division Boundaries
1	2	3	4	5	6	7	8
Surguja	Surguja	Surguja forest division (Ambikapur)	1. Ambikapur (Ambikapur)	306.399	1. Ambikapur (Ambikapur) 2. Lundra (Lundra) 3. Sale Depot Ambikapur (Ambikapur) 4. Officer Incharge Flying Squad Unit (Ambikapur)	**North**-Boundary of Surajpur range of Surajpur district & boundaries of Rajpur and Shankargarh ranges of Balarampur district. **East**-Boundary of Shankargarh range of Balarampur district, boundary of Jashpur district and boundary of Sitapur range of Surguja forest division. **South**- Boundaries of Sitapur & Mainpat ranges of Surguja forest division. **West**-Boundaries of Mainpat & Lakhanpur ranges of Surguja forest division and boundary of Surajpur range of Surajpur district .	**North**-Boundary of Surajpur range of Surajpur district & boundaries of Rajpur and Shankargarh range of Balarampur district. **East**- Boundary of Shankargarh range of Balarampur district & boundary of Jashpur district . **South**-Boundary of Jashpur district & boundary of Dharamjaigarh forest division of Raigarh district & boundary of Katghora forest division of Korba district **West**-Boundary of Dharamjaigarh forest division of Raigarh district and boundary of Ramanujnagar and Surajpur ranges of Surajpur district.
--"--	--"--	--"--	2. Sitapur (Sitapur)	403.964	1. Sitapur (Sitapur) 2. Mainpat (Kamleshwarpur)	**North**-Boundary of Lundra range of Surguja district & boundary of Jashpur district. **East**-Boundary of Jashpur district . **South**- Boundary of Jashpur district, boundary of Dharamjaigarh forest division of Raigarh district and boundary of Lakhanpur range of Surguja forest division. **West**- Boundaries of Lakhanpur, Ambikapur and Lundra ranges of Surguja forest division.	

Name of circle	Name of District	Name of Division& H.Q.	Name of Sub Division & H.Q.	Area in (Sq. Km.)	Included Range, Depot and H.Q.	Details of Sub Division Boundaries	Details of Division Boundaries
1	2	3	4	5	6	7	8
Surguja	Surguja	Surguja forest division (Ambikapur)	3. Udaipur (Udaipur)	718.968	1. Udaipur (Udaipur) 2.Lakhanpur (Lakhanpur) 3. Production Unit (Udaipur)	**North**-Boundary of Surajpur range of Surajpur district **East**-Boundary of Surajpur range of Surajpur district and boundaries of Ambikapur & Mainpat ranges of Surguja district. **South**- Boundary of Mainpat range of Surguja forest division and boundary Kathghora forest division of Korba district . **West**- Boundary of Kathghora forest division of Korba district and boundaries of Ramanujnagar and Surajpur ranges of Surajpur district.	
--"--	--"--	--"--	4. Forest Settlement Unit (Ambikapur)	-	Entire Area of Surguja, Surajpur, Balarampur, Korea and Manendragarh forest divisions.		
Total Area of Surguja Forest Division :-				1429.331			
Surguja	Surajpur	Surajpur forest division (Surajpur)	1. Surajpur (Surajpur)	480.340	1.Surajpur (Surajpur) 2.Ramanujnagar (Ramanujnagar)	**North**-Boundaries of Kudargarh & Pratappur ranges of Surajpur district. **East**-Boundary of Rajpur range of Balarampur district & boundaries of Ambikapur, Lakhanpur and Udaipur ranges of Surguja forest division. **South**-Boundary of Kathghora forest division of Korba district. **West**-Boundary of Kathghora forest division of Korba district and boundary of Korea forest division of Korea district.	**North**-Boundary of Guru Ghasidas National Park, boundary of Sidhi district of Madhya Pradesh and boundaries of Raghunathnagar and Wadrafnagar ranges of Balarampur forest division of Balarampur district. **East**-Boundaries of Wadrafnagar and Rajpur ranges of Balarampur forest division. of Balarampur district and boundaries of Ambikapur, Lakhanpur & Udaipur ranges of Surguja district. **South**-Boundary of Udaipur range of Surguja district & Boundary of Kathghora forest division of Korba district. **West**-Boundary of Kathghora forest division of Korba district and boundary of Korea forest division of Korea district and boundary of Guru Ghasidas National Park.

Name of circle	Name of District	Name of Division& H.Q.	Name of Sub Division & H.Q.	Area in (Sq. Km.)	Included Range, Depot and H.Q.	Details of Sub Division Boundaries	Details of Division Boundaries
1	2	3	4	5	6	7	8
Surguja	Surajpur	Surajpur forest division (Surajpur)	2. Odagi (Odagi)	844.576	1.Kudargarh (Odagi) 2.Biharpur (Biharpur)	**North**-Boundary of Sidhi district Of Madhya Pradesh. **East**-Boundary of Raghunathnagar range of Balarampur forest division of Balarampur district & boundaries of Tamor Pingla Sanctuary and Ghui range. **South**- Boundary of Pratappur range of Pratappur sub division and boundary of Surajpur range. **West**- Boundary of Korea forest division of Korea district & boundary of Guru Ghasidas National Park and boundary of Sidhi district Of Madhya Pradesh.	
--"--	--"--	--"--	3. Pratappur (Pratappur)	437.014	1.Pratappur (Pratappur) 2.Ghui (Ghui)	**North**-Boundary of Tamor Pingla Sanctuary and boundary of Wadrafnagar range of Balarampur forest division. **East**-Boundaries of Wadrafnagar & Rajpur ranges of Balarampur forest division. **South**- From boundary of Rajpur range of Balarampur forest division to Surajpur range. **West**- Boundaries of Kudargarh range & Surajpur range and boundry of Tamor Pingla sanctuary.	
--"--	--"--	--"--	4.Tamor Pingla sanctuary (Ramkola)	589.215	Boundaries as per the Gazette notification dated 10-03-1978 of Madhya Pradesh.		
Total Area of Surajpur Forest Division :-				**2351.145**			
Surguja	Balarampur	Balarampur forest division (Balarampur)	1.Wadrafnagar (Wadrafnagar)	1110.229	1.Wadrafnagar (Wadrafnagar) 2.Raghunathnagar (Raghunathnagar) 3.Dhamni (Nawadih) 4.Sale Depot Wadrafnagar (Wadrafnagar)	**North**-Boundaries of Sidhi district of Madhya Pradesh, Sonbhadra district of Uttar Pradesh and Garhwa district of Jharkhand. **East**-Boundary of Garhwa district of Jharkhand & boundaries of Ramanujganj, Balarampur ranges of Balarampur district & boundary of Semarsot sanctuary. **South**-Boundary of Semarsot sanctuary and Pratappur range of Surajpur district **West**-Boundaries of Pratappur & Ghui ranges, Tamor Pingla sanctuary and Biharpur range of Surajpur district and boundary of Sidhi district of Madhya Pradesh.	**North**-Boundaries of Sidhi district of Madhya Pradesh , Sonbhadra district of Uttar Pradesh and Garhwa district of Jharkhand. **East**-Boundary of Garhwa district of Jharkhand. **South**-Boundary of Garhwa district of Jharkhand and boundary of Jashpur & Surguja district. **West**-Boundaries of districts of Surguja & Surajpur & boundary of Sidhi district of Madhya Pradesh.

Name of circle	Name of District	Name of Division& H.Q.	Name of Sub Division & H.Q.	Area in (Sq. Km.)	Included Range, Depot and H.Q.	Details of Sub-Division Boundaries	Details of Division Boundaries
1	2	3	4	5	6	7	8
Surguja	Balarampur	Balarampur forest division (Balarampur)	2. Balarampur (Balarampur)	1008.490	1.Balarampur (Balarampur) 2.Ramanujganj (Ramanujganj) 3.Chando (Chando)	**North**-Boundary of Garhwa district of Jharkhand. **East**-Boundary of Garhwa district of Jharkhand & Kusmi forest range. **South**- Boundaries of Kusmi & Balarampur ranges & boundary of Semarsot sanctuary. **West**- Boundary of Semarsot sanctuary & boundaries of Wadrafnagar and Dhamni ranges & Garhwa district of Jharkhand.	
--"--	--"--	--"--	3. Rajpur (Rajpur)	933.242	1.Rajpur (Rajpur) 2.Shankargarh (Shankargarh) 3.Kusmi (Kusmi)	**North**-Boundaries of Semarsot sanctuary, Balarampur and Chando ranges. **East**-Boundaries of Chando range and Garhwa district of Jharkhand. **South**- Boundary of Garhwa district of Jharkhand & Jashpur district & boundaries of Lundra and Ambikapur ranges of Surguja district **West**- Boundary of Ambikapur range of Surguja district & boundaries of Surajpur range, Pratappur range of Surajpur district and Semarsot sanctuary.	
--"--	--"--	--"--	4.Semarsot sanctuary (Balarampur)	281.158	Boundaries as per the Gazette notification dated 10-03-1978 of Madhya Pradesh.		
Total Area of Balarampur Forest Division :-				3333.119			

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

M. T. NANDY, Special Secretary.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बालोद, दिनांक 12 सितम्बर 2012

क्रमांक/188/अ-82/वर्ष 2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालोद	गुण्डरदेही	मोहलई प. ह. नं. 26	3.52	कार्यपालन अभियंता, खरखरा मोहंदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग (छ.ग.)	प्रस्तावित मोहलई व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण के अंतर्गत.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बालोद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बालोद, दिनांक 12 सितम्बर 2012

क्रमांक/190/अ-82/वर्ष 2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालोद	गुण्डरदेही	कोटगांव प. ह. नं. 18/22	0.96	कार्यपालन अभियंता, खरखरा मोहंदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग (छ.ग.)	प्रस्तावित मोहलई व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण के अंतर्गत.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बालोद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बालोद, दिनांक 12 सितम्बर 2012

क्रमांक/192/अ-82/वर्ष 2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालोद	गुण्डरदेही	नवागांव प. ह. नं. 18/21	2.90	कार्यपालन अभियंता, खरखरा मोहंदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग (छ.ग.)	प्रस्तावित मोहलई व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण के अंतर्गत.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बालोद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बालोद, दिनांक 12 सितम्बर 2012

क्रमांक/194/अ-82/वर्ष 2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालोद	गुण्डरदेही	चौरेल प. ह. नं. 26	3.50	कार्यपालन अभियंता, खरखरा मोहंदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग (छ.ग.)	प्रस्तावित मोहलई व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण के अंतर्गत.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बालोद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बालोद, दिनांक 12 सितम्बर 2012

क्रमांक/196/अ-82/वर्ष 2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालोद	गुण्डरदेही	चंदनबिरही प. ह. नं. 18/21	5.23	कार्यपालन अभियंता, खरखरा मोहंदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग (छ.ग.)	प्रस्तावित मोहलई व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण के अंतर्गत.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बालोद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बालोद, दिनांक 12 सितम्बर 2012

क्रमांक/198/अ-82/वर्ष 2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालोद	गुण्डरदेही	कांदुल प. ह. नं. 19	2.73	कार्यपालन अभियंता, खरखरा मोहंदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग (छ.ग.)	प्रस्तावित मोहलई व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण के अंतर्गत.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बालोद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बालोद, दिनांक 12 सितम्बर 2012

क्रमांक/200/अ-82/वर्ष 2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालोद	गुण्डरदेही	खुटेरी प. ह. नं. 19/24	2.09	कार्यपालन अभियंता, खरखरा मोहंदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग (छ.ग.)	प्रस्तावित मोहलई व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण के अंतर्गत.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बालोद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बालोद, दिनांक 12 सितम्बर 2012

क्रमांक/202/अ-82/वर्ष 2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालोद	गुण्डरदेही	खेरूद प. ह. नं. 19/24	4.40	कार्यपालन अभियंता, खरखरा मोहंदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग (छ.ग.)	प्रस्तावित मोहलई व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण के अंतर्गत.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बालोद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बालोद, दिनांक 12 सितम्बर 2012

क्रमांक/204/अ-82/वर्ष 2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालोद	गुण्डरदेही	सनौद प. ह. नं. 21	1.51	कार्यपालन अभियंता, खरखरा मोहंदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग (छ.ग.)	प्रस्तावित मोहलई व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण के अंतर्गत.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बालोद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बालोद, दिनांक 12 सितम्बर 2012

क्रमांक/206/अ-82/वर्ष 2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालोद	गुण्डरदेही	कोड़ेवा प. ह. नं. 19/24	3.08	कार्यपालन अभियंता, खरखरा मोहंदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग (छ.ग.)	प्रस्तावित मोहलई व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण के अंतर्गत.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बालोद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बालोद, दिनांक 12 सितम्बर 2012

क्रमांक/208/अ-82/वर्ष 2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालोद	गुण्डरदेही	धनगांव प. ह. नं. 19/24	3.38	कार्यपालन अभियंता, खरखरा मोहंदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग (छ.ग.)	प्रस्तावित मोहलई व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण के अंतर्गत.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बालोद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमृत कुमार खलखो, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

बालोद, दिनांक 12 सितम्बर 2012

क्रमांक/210/अ-82/वर्ष 2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालोद	गुण्डरदेही	चिचलगोंदी प. ह. नं. 20	2.53	कार्यपालन अभियंता, खरखरा मोहंदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग (छ.ग.)	प्रस्तावित मोहलई व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण के अंतर्गत.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बालोद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एस. एल्मा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 5 सितम्बर 2012

क्रमांक/7597/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	खैरागढ़	कुसमी प. ह. नं. 32	0.40	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण सेतु निर्माण संभाग, राजनांदगांव.	सतबहिनी मार्ग में स्थित नाला पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 5 सितम्बर 2012

क्रमांक/7598/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुईखदान	कुटेलीखुर्द प. ह. नं. 20	0.12	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण सेतु निर्माण संभाग, राजनांदगांव.	लमतीनाला पर उच्च-स्तरीय पुल निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कांकेर, दिनांक 7 जून 2012

क्रमांक/2746/भू-अर्जन/कले./2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	कांकेर	श्रीरामनगर कांकेर	4.50	कार्यपालन अभियंता, छ.ग. गृह निर्माण मण्डल बस्तर संभाग, जगदलपुर.	अटल बिहार योजना अंतर्गत.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. के. खाखा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिब, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 7 सितम्बर 2012

क्रमांक/7652/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-बापूटोला, प.ह. नं. 03
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.642 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
37/1	0.576
42/3	0.520
43/9	0.169
41	0.345
101/1	0.121
102/3	0.023
106	0.025
105/1	0.206
105/4	0.145
105/3	0.013
120/1	0.239
120/2	0.077
120/3	0.150
109	0.443
116	0.008
118	0.004
117	0.029

	(1)	(2)
	114	0.526
	115	0.741
	125/2	0.033
	126/2	0.573
	126/1	0.676
योग	22	5.642

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खातूटोला बैराज के अन्तर्गत दायीं तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 7 सितम्बर 2012

क्रमांक/7654/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-रंगीटोला, प. ह. नं. 37
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.081 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	15/4	0.081
योग	1	0.081

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खातूटोला बैराज के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु. (पूरक प्रकरण)

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 7 सितम्बर 2012

क्रमांक/7655/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-दर्तेगाटोला, प. ह. नं. 24
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.496 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	642/1	0.233
	642/2	0.263
योग	2	0.496

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घुमरियानाला बैराज के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु. (पूरक प्रकरण)

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 7 सितम्बर 2012

क्रमांक/7656/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-बेलरगोंदी, प. ह. नं. 17
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.870 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	692/1	0.020
	692/3	0.028
	691/2	0.057
	691/1	0.008
	718/1	0.081
	670/3	0.024
	670/4	0.008
	670/5	0.020
	730/5	0.085
	684	0.069
	666	0.008
	689	0.057
	703/10	0.097
	683/2	0.045
	703/1	0.089
	719	0.077
	692/2	0.089
	667	0.008
योग	18	0.870

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घुमरियानाला बैराज के अन्तर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 7 सितम्बर 2012

क्रमांक/7657/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-चिरचारीकला, प. ह. नं. 24
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.234 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	106/1	0.097
	466/4	0.020
	470/1	0.117
योग	3	0.234

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घुमरियानाला बैराज के अन्तर्गत दायीं तट मुख्य नहर निर्माण हेतु. (पूरक प्रकरण)

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 7 सितम्बर 2012

क्रमांक/7658/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-नागरकोहरां, प. ह. नं. 38
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.194 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
404/3	0.149

	(1)	(2)
	38/26	0.045
योग	2	0.194

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खातूटोला बैराज के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु. (पूरक प्रकरण)

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 7 सितम्बर 2012

क्रमांक/7659/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-जंगलपुर, प. ह. नं. 16
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.79 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	5/3	0.11
	86/13	0.72
	10/3	0.78
	10/4	0.28
	55/8	1.70
	239/1	0.20
योग	6	3.79

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गहिराभेड़ी जलाशय के अन्तर्गत डुबान एवं नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव, जिला राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 7 सितम्बर 2012

क्रमांक/7660/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-झितराटोला, प. ह. नं. 40
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.101 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	48/1	0.036
	24/5	0.065
योग	2	0.101

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खातूटोला बैराज के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु. (पूरक प्रकरण)

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 7 सितम्बर 2012

क्रमांक/7661/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगांव
- (ग) नगर/ग्राम-तिलईरवार, प. ह. नं. 10/9
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.61 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
651	0.30
650	0.45
653	0.20
654/2	0.30
655	0.20
656/7	0.11
656/6	0.13
656/2	0.09
656/5	0.10
656/4	0.10
656/3	0.11
656/12	0.11
656/1	0.09
657/2	0.10
608/5	0.22
योग 15	2.61

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-तिलईरवार जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव, जिला राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 7 सितम्बर 2012

क्रमांक/7662/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगांव
- (ग) नगर/ग्राम-केसला, प. ह. नं. 22
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.213 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
20/2	0.024
21	0.105
23/3	0.053
22/1	0.069
23/2	0.032
14	0.012
368/5	0.085
368/6	0.065
425/2	0.016
433	0.069
425/1	0.073
430	0.146
426/4	0.004
426/6	0.109
428/1	0.053
13	0.012
428/2	0.117
434/2	0.024
431	0.077
434/3	0.040
454/3	0.069
435/2	0.036
432	0.097
435/1	0.081
445/3	0.065
524/2	0.045
446/5	0.065
455/3	0.081
448	0.008
449	0.166
453	0.304
454/1	0.117
455/2	0.045
532/2	0.041
526	0.109
446/1	0.069
434/1	0.057
450/1	0.105
454/2	0.041
455/1	0.016
426/1	0.036
426/2	0.045
19	0.016
18	0.012

	(1)	(2)
	15/2	0.012
	15/4	0.020
	368/4	0.012
	368/8	0.053
	368/9	0.012
	17/1	0.012
	12/1	0.012
	16/1	0.016
	7	0.153
योग	53	3.213

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सूखानाला बैराज के केसला माइनर (2) के अन्तर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 23 जुलाई 2012

क्रमांक 14/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ. ग.)
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-बोडसरा, प.ह.नं. 22
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.66 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	783/1	0.06
	782	0.09
	783/3	0.05
	784	0.07
	412/3	0.10 1/2
	429	0.29
योग		0.66

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सकरी-पेण्ड्रीडीह बायपास सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामसिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 10 सितम्बर 2012

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./16/अ-82/वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-तिल्दा
- (ग) नगर/ग्राम-तुलसी, प.ह.नं. 17
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-19.883 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
120/1	0.040
120/2	0.207
120/3	0.263
120/4	0.202
120/5	0.142
149/2	0.202
150	0.336
151	0.255
155/1	0.121
153	0.101
154	0.445
289/2	0.324
296/1	0.263
296/6	0.073
296/8	0.781
297/2	0.109
297/3	0.517
360/189	0.405
298/1	0.121
360/188	0.202
302/1	0.243
302/2	0.202
303/2	0.004
304/2	0.101
360/167	0.202
360/165	0.202
360/152	0.405
355/1	0.101
355/2	0.202
432	0.202
443/3	0.069
441	0.182
443/2	0.405
304/12	0.194
437	0.101
439/3	0.021
439/4	0.118
439/5	0.102
439/6	0.071
439/7	0.057
439/8	0.055
439/9	0.056
439/10	0.057
439/13	0.060
439/14	0.057
439/15	0.056
439/18	0.057
446/1	0.140
446/2	0.142
446/3	0.145
446/4	0.028
446/5	0.029
446/6	0.029
446/7	0.028
446/8	0.028
360/111, 360/145	0.405
360/112	0.202
298/2	0.138
298/3	0.060
443/1	0.101
360/169	0.182
447/1	0.202
305/1	0.125
360/164	0.202
289/1	0.089
302/6	0.073
431/4	0.175
356	0.486
296/7	0.101
440	0.101
121/4	0.245
360/156	0.101
360/1	0.244
360/168	0.202
36/3	0.203
22/2	2.024
36/1	0.202
36/2	0.101
36/4	0.040
35/2	2.656
34/1	0.206
304/6	0.142
304/8	0.284
304/9	0.134

(1)	(2)
301/1	0.101
299/1	0.121
299/2	0.105
299/4	0.202
299/3	0.074
299/5	0.109
299/6	0.081
299/7	0.202
297/4	0.202
योग 93	19.883

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-औद्योगिक क्षेत्र के एप्रोच रेल्वे लाईन निर्माण योजना हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायपुर (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 13 अगस्त 2012

क्रमांक/301/भू-अर्जन/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यंकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा
- (ख) तहसील-बिलाईगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-जैतपुर, प.ह.नं. 32
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.152 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
428/6	0.152
योग	0.152

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-पेट्रोलियम पाईप लाईन के लिए आर.सी.पी. स्टेशन निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश सुकुमार टोप्पो, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 17 जुलाई 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 17/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-पाली
- (ग) नगर/ग्राम-रेंकी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.06 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
393/15	0.06
योग	0.06

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-विद्युत संयंत्र स्थापना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. एस. त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 7 सितम्बर 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 25/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-तमनार
- (ग) नगर/ग्राम-सलिहाभांठा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.907 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
509/1क, 509/1ख	0.029
510/1, 510/2	0.134
512/1, 512/2, 512/3, 512/4, 512/5	0.203
513/1	0.081
520/2	0.089
530/4	0.046
520/6क, 520/6ख/1, 520/6ख/2	0.122
520/7	0.142
514/1, 514/2	0.010
518/1	0.010
518/2	0.035
519/1	0.006
योग 12	0.907

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 7 सितम्बर 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 26/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-तमनार
- (ग) नगर/ग्राम-बासनपाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-8.914 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
244/1	0.101
244/3	0.091

(1)	(2)
245/1	0.105
245/2	0.179
246	0.267
247/1	0.181
247/4	0.051
248	0.061
250/2	0.103
250/3	0.075
250/4	0.075
250/5	0.077
250/6	0.041
251/1	0.315
251/2	0.063
252/1	0.172
252/2	0.146
253/1	0.051
261	0.051
262/1	0.170
262/2	0.181
263/2	0.146
263/3	0.027
263/4	0.140
350/19	0.105
350/20	0.051
357/1	0.101
359/1	0.152
359/2	0.118
360/1	0.101
360/2	0.051
360/3	0.025
360/4	0.029
365	0.171
379/1	0.101
381	0.122
382	0.087
383/1	0.015
383/2	0.080
384/1	0.101
384/2	0.025
384/3	0.033
384/4	0.032
385	0.091
386/1	0.094
386/2	0.025
388/1	0.178
388/2	0.010
448/3	0.051
448/4	0.021
450/1	0.092
450/2	0.051
450/3	0.025
450/4	0.051
476/1, 476/2, 476/3, 476/4	0.041
475/1	0.051
475/2	0.101
477/2	0.041
478/1	0.042
481/1	0.101
481/2	0.101
491	0.051
492/1, 492/2, 492/3, 492/4	0.203
493	0.093
513/1	0.070
513/5	0.069
263/5	0.069
263/6	0.067
264	0.405
265/1	0.101
281	0.061
283	0.075
284	0.092
285	0.035
350/2	0.270
350/11	0.304
350/13	0.171
350/18	0.098
434	0.039
436/1	0.101
436/2	0.091
436/3	0.027
436/4	0.101
436/5	0.069
436/6	0.067
446/3	0.051
446/4	0.043
446/7	0.041
448/1	0.059
448/2	0.105
513/515/1	0.069
513/515/2	0.045
513/515/3	0.045

(1)	(2)
513/515/4	0.045
513/515/5	0.045
365/2	0.101
योग 96	8.914

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 7 सितम्बर 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 27/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-तमनार
- (ग) नगर/ग्राम-गोढ़ी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल 4.229 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
50/3	0.087
50/4	0.076
63/1क	0.012
73/3	0.044
51/1क, 72/2, 72/3	0.101
54/1क	0.087
54/1ख	0.096
55	0.071
56/1क	0.081
58/1	0.202
63/1ख	0.091
176	0.107
63/1घ	0.065
64/1	0.122
64/2	0.051
64/3	0.043
73/2	0.040
73/4	0.222
78	0.071
217	0.283
81/1	0.035
81/2	0.036
175/1	0.051
178/1	0.028
179/3, 197/2	0.079
194/1	0.027
194/4	0.040
175/3	0.116
175/4	0.116
178/2	0.028
175/7	0.226
178/5	0.020
175/6	0.061
175/8	0.028
178/3	0.028
178/4	0.061
178/6	0.088
215	0.251
216/1	0.121
216/2	0.079
241/2	0.020
242	0.026
245/1	0.030
243	0.103
217	0.283
81/1	0.035
81/2	0.036
82/1	0.035
86	0.040
82/2	0.034
83	0.071
84/1	0.041
84/3	0.067
84/2	0.025
242	0.026

	(1)	(2)
	245/1	0.030
	243	0.103
	244	0.206
	247/1	0.060
योग	53	4.229

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर (खनिज शाखा), बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)

बलौदाबाजार, दिनांक 23 अगस्त 2012

क्रमांक 447/खलि/तीन-1/2012.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 1996 के नियम (12) के तहत जिला बलौदाबाजार-भाटापारा स्थित निम्नानुसार सूची में दर्शाये गये क्षेत्र चूनापत्थर गौण खनिज के उत्खनिपट्टा स्वीकृति हेतु राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से 30 (दिन) पश्चात् आवेदन हेतु उपलब्ध होगा. प्राप्त आवेदन पत्रों पर नियमानुसार जांच उपरांत आवेदित क्षेत्र में उत्खनिपट्टा स्वीकृति हेतु विचार किया जायेगा.

क्र.	ग्राम का नाम	प. ह. नं.	तहसील	खसरा नंबर	रकबा	अन्य विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	टेकारी	25	सिमगा	271, 272 (निजी भूमि)	0.305 हेक्टर	श्री अनिल कुमार मुदड़ा को दिनांक 21-7-2009 से 20-7-2014 तक स्वीकृत चूनापत्थर उत्खनिपट्टा का समयावधि में अनुबंध निष्पादन नहीं कराने के फलस्वरूप गौण खनिज नियमावली 1996 के नियम 26 के तहत् पट्टा मंजूर करने वाला आदेश प्रतिसंहत (Revoked) होने से क्षेत्र रिक्त है.

राजेश सुकुमार टोप्पो,
कलेक्टर.

कार्यालय, श्रम पदाधिकारी, जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

जांजगीर-चांपा, दिनांक 7 अगस्त 2012

क्रमांक 11/2012.—छ.ग. दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 की धारा-13 (3-ए) के अधिकारों के प्रयोजन हेतु राज्य शासन द्वारा श्रम अधिकारी को अधिसूचना क्रमांक 4514-2459 XVI-A दिनांक 29-09-1983 के द्वारा अधिकृत किया गया है. जिला-जांजगीर-चांपा के स्थानीय शिवरीनारायण क्षेत्र में शासन द्वारा दुकान एवं स्थापना अधिनियम लागू किया गया. अत: शिवरीनारायण क्षेत्र में दिन मंगलवार को बंद दिवस नियत किया जाता है.

विकास सरोदे,
श्रम पदाधिकारी.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 4th September 2012

No. 640/Confdl./2012/II-2-99/2001.—On the basis of applications of the following Judicial Officers, whose names have been metioned in column No. (2) of the table below, requesting for change of their Home District, permission is hereby accorded to change their Home District, from the place mentioned in column No. (3) to the place mentioned in column No. (4) with a direction that necessary changes be affected in all their records.

TABLE

Sl. No. (1)	Name (Sarvshri) (2)	Present Home District (3)	Changed Home District (4)
1.	Ku. Udai Laxmi Parmar	Indore (M.P.)	Rajgarh (Biaora) (M.P.)
2.	Smt. Chhaya Singh	Satna (M.P.)	Reva (M.P.)
3.	Shri Avinash Kumar Tripathi	Reva (M.P.)	Allahabad (U.P.)
4.	Ku. Radhika Saini	Gwalior (M.P.)	Bhopal (M.P.)
5.	Shri Lavkesh Pratap Singh Baghel	Reva (M.P.)	Satna (M.P.)

Bilaspur, the 4th September 2012

No. 642/Confdl./2012/II-2-99/2001.—On the basis of applications of the following Judicial Officers, whose names have been metioned in column No. (2) of the table below, requesting for change of their Home District, permission is hereby accorded to change their Home District, from the place mentioned in column No. (3) to the place mentioned in column No. (4) :

TABLE

Sl. No. (1)	Name (Sarvshri) (2)	Present Home District (3)	Changed Home District (4)
1.	Shri Jantaram Banjara	Bilaspur	Kawardha
2.	Shri Sirajuddin Qureshi	Raipur	Rajnandgaon
3.	Smt. Tajeshwari Devi Dewangan	Durg	Janjgir-Champa

It is further directed that in official records of Shri Jantaram Banjara, Shri Sirajudding Qureshi and Smt. Tajeshwari Devi Dewangan their Home District be mentioned as Kawardha/Bilaspur, Rajnandgaon/Raipur and Janjgir/Durg respectively.

By order of Hon'ble the Chief Justice,
A. K. SHRIVASTAVA, Registrar General.